भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3269

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

नीम-लेपित यूरिया का प्रभाव

3269. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में यूरिया के लिए नीम-लेपन को अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(ख) नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता में सुधार करने, उर्वरक के दुरुपयोग को कम करने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने में नीम-लेपित यूरिया के माध्यम से, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए, प्राप्त लाभ क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए राजसहायता वाले यूरिया के विपथन को रोकने में नीम-लेपित यूरिया के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित, आपूर्ति किए गए और विपणन किए गए नीम-लेपित यूरिया की मात्रा कितनी है और उक्त निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य को आवंटन और वितरण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों और आयातकों के लिए वर्ष 2015 के बाद से 100% नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की आपूर्ति करना अनिवार्य है। नीम लेपन (कोटिंग) के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि धीमी गति से अवशोषित होने के कारण, एनसीयू की खपत सामान्य यूरिया की तुलना में कम हो जाती है, फसल की ग्राह्यता में सुधार होता है और पर्यावरणीय नुकसान कम होता है। अनुसंधान के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि एनसीयू के उपयोग के कारण औसत उपज में 8.25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एनसीयू के अनुप्रयोग से नाइट्रोजन की हानि लगभग 10% -15% तक कम कर होती है।

नीम-लेपित यूरिया (एनसीयू) एक प्रभावी नाइट्रीकरण अवरोधक (Nitrification Inhibitor) के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य दानेदार यूरिया की तुलना में मृदा में NH_4^+-N की मात्रा अधिक तथा NO_2^--N की मात्रा कम बनी रहती है। हालांकि, इसका प्रभाव मृदा के प्रकार, फसल तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि नीम-लेपित यूरिया मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, NO_3^- के निक्षालन (Leaching) को कम करता है तथा NH_3 के वाष्पीकरण (Volatilization) से होने वाली नाइट्रोजन की हानि को न्यूनतम करता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर किए गए अनुसंधानों से निरंतर यह भी पाया गया है कि नीम-लेपित यूरिया के उपयोग से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Recovery) में वृद्धि होती है, कम मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग पर भी अधिक उपज प्राप्त होती है तथा नाइट्रोजन की हानि में उल्लेखनीय कमी आती है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, कालाबाजारी, जमाखोरी, अवमानक उर्वरकों तथा विपथन के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित समीक्षा करती है। देशभर में अप्रैल 2026 से अब तक 1,69,031 छापे मारे गए हैं, दोषियों के विरुद्ध 9,127 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,868 लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए गए हैं तथा 270 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विपथन के मामलों में 414 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 113 लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए गए हैं तथा 46 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) दर्ज की गई हैं। यह मंत्रालय दोषियों के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन (Follow-up) करता है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित नीम लेपित यूरिया की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	**नीम-लेपित यूरिया का उत्पादन (आँकड़े एलएमटी में)**
2023-24	314.06
2024-25	306.41
2025-26	293.15

स्रोत: dbfert.nic.in

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्य में यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3269 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

मध्य प्रदेश				
2023-24 से 2025-26 तक यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री				
				आंकडे एलएमटी में
क्रम.सं.	वर्ष	यूरिया		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2023-24	33.46	41.73	34.37
2	2024-25	35.38	42.43	38.09
3	2025-26	40.42	47.16	42.43